

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

31 मार्च 2002 को समाप्त वर्ष

छत्तीसगढ़ सरकार

विषय सूची

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
पहला अध्याय		
राज्य सरकार की वित्त व्यवस्थाओं का विहंगावलोकन		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य की वित्तीय स्थिति	1.2	1
राज्य सरकार के वित्तीय कार्य चालन	1.3	8
निधियों के स्रोत और उनका उपयोग	1.4	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	9
राजस्व व्यय	1.6	10
पूँजीगत व्यय	1.7	11
व्यय की गुणवत्ता	1.8	11
वित्तीय प्रबंधन	1.9	12
लोक ऋण	1.10	15
वित्तीय निष्पादन के संदर्शक	1.11	16
दूसरा अध्याय		
विनियोग लेखा परीक्षा तथा व्यय पर नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोग लेखे का सारांश	2.2	24
विनियोग लेखा परीक्षा के परिणाम	2.3	25
तीसरा अध्याय : सिविल विभाग		
भाग – क : समीक्षाएँ		
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
ग्रामीण आवास (इंदिरा आवास योजना)	3.1	29
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	3.2	37
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
पिछड़े क्षेत्रों के कल्याण हेतु औषधालय	3.3	50
महिला एवं बाल विकास विभाग		
विशेष पोषाहार कार्यक्रम	3.4	64

विवरण	कंडिका	पृष्ठ
भाग – ख : लेखा परीक्षा कंडिकाएँ		
वन विभाग		
मानदण्डों के अनुपालन न करने के फलस्वरूप अधिक व्यय	3.5	80
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग		
अस्वीकार्य कार्यों के निष्पादन पर व्यय	3.6	82
अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग		
सेनेटरी मार्टस की स्थापना हेतु प्राप्त निधियों का उपयोग नहीं होना	3.7	83
स्कूल शिक्षा विभाग		
91.40 लाख रुपये की निधियों का अवरुद्ध होना	3.8	84
चौथा अध्याय : निर्माण व्यय		
भाग – क : समीक्षाएँ		
लोक निर्माण विभाग		
लोक निर्माण विभाग की एकीकृत लेखा परीक्षा	4.1	87
भाग – ख : लेखा परीक्षा कंडिकाएँ		
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग		
नैला-जॉजगीर जल प्रदाय योजना में समयपूर्व निवेश	4.2	103
लोक निर्माण विभाग		
उच्च निविदा दरों एवं अवमानक कार्य की स्वीकृति	4.3	104
सामान्य		
जवाबदेही पर बल देने एवं शासकीय हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की असफलता	4.4	105
पांचवा अध्याय – राजस्व प्राप्तियाँ		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	5.1	107
राज्य द्वारा संग्रहित कर राजस्व	5.2	107
बजट अनुमानों एवं वास्तविक में अंतर	5.3	108
बकाया राजस्व	5.4	109
लेखा परीक्षा के परिणाम	5.5	109
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ	5.6	109
लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुवर्तन	5.7	110
प्रारूप लेखा परीक्षा कंडिकाओं पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया	5.8	111

वाणिज्यिक कर		
कर की गलत दर लागू करना	5.9	111
सकल विक्रय का गलत निर्धारण	5.10	112
कर का अनारोपण	5.11	113
नवीन उद्योगों को कर के भुगतान से गलत छूट	5.12	114
बन्द इकाइयों से वाणिज्यिक कर की वसूली न किया जाना	5.13	115
प्रवेश कर का कम निर्धारण/अनारोपण	5.14	116
समंजन (सेट ऑफ) की अनियमित स्वीकृति	5.15	116
मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस		
अव-मूल्यांकन से राजस्व की हानि	5.16	117
गलत वर्गीकरण के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली	5.17	118
मुद्रांक शुल्क की गलत/अनधिकृत छूट	5.18	118
सहकारी गृह निर्माण समितियों के पक्ष में/के द्वारा निष्पादित प्रलेखों में राजस्व की हानि	5.19	119
प्रब्याजि और भूभाटक के गलत निर्धारण के कारण पट्टा विलेखों पर मुद्रांक शुल्क की कम वसूली	5.20	120
अर्थदण्ड का अनारोपण	5.21	120
अन्य कर प्राप्ति		
शीरे से एल्कोहल का कम उत्पादन	5.22	121
आसवनी में स्पिरिट के न्यूनतम स्कन्ध का संधारण न करना	5.23	122
राज्य शासन स्थापना पर किये गये व्यय की वसूली न करना	5.24	123
स्पिरिट की अग्राह्य हानि	5.25	123
वाहन कर एवं शास्ति की वसूली न करना/ कम वसूली	5.26	124
पुनरीक्षित दरें लागू नहीं करने से कर की कम वसूली	5.27	125
व्यपवर्तन लगान एवं उपकर की मांग सृजित न करना	5.28	125
समझौता मनोरंजन शुल्क के विलम्बित भुगतान पर शास्ति का अनारोपण	5.29	125
अन्य कर भिन्न प्राप्ति		
रायल्टी के विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का अनारोपण	5.30	126
हानियों की वसूली में विफलता	5.31	126
शासकीय भवनों के लाइसेंस शुल्क की कम वसूली / वसूली नहीं होना	5.32	127

समुन्नत अंशदान का अनारोपण	5.33	128
शासकीय भवनों पर लाइसेंस फीस का अनारोपण	5.34	128
लाइसेंस शुल्क एवं प्रीमियम का कम आरोपण/अनारोपण	5.35	129
जल प्रभार और उपकरण का अनारोपण	5.36	129
ऋण की विलम्बित वापसी पर ब्याज का अनारोपण	5.37	130
उर्वरक विक्रेताओं से लाइसेंस शुल्क की वसूली न होना	5.38	130
बॉस के कम उत्पादन के कारण हानि	5.39	131
इमारती लकड़ी के लट्टों को बल्लियों के रूप में वर्गीकृत करने के कारण राजस्व की हानि	5.40	132
विभागीय कार्य हेतु वनोपज का अनधिकृत उपयोग	5.41	133
काष्ठागारों में वनोपज की कमी	5.42	133
छंटवा अध्याय— प्राधिकरणों एवं संस्थाओं को सहायता		
आवास एवं पर्यावरण विभाग		
मकानों / दूकानों के निर्माण पर पूंजी का अवरुद्ध होना	6.1	135
ठेकेदारों से अतिरिक्त लागत की वसूली न होना	6.2	135
सातवां अध्याय – शासकीय वाणिज्यिक एवं व्यापारिक गतिविधियाँ		
सामान्य	7.1	137
रिटैरशिप शुल्क का निष्फल भुगतान	7.2	142
शास्ति आरोपित करने में असफलता	7.3	143

परिशिष्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ
I	पहले अध्याय में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा दर्शाने वाला विवरण पत्र	145
I A	पूर्ववर्ती संयुक्त राज्य मध्य प्रदेश की 31 मार्च 2002 को परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों के मध्य विभाजन दर्शाने वाला विवरण पत्र	148
II	छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय निष्पादन देशनाओं का कार्य पत्रक	149
III	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ	151
IV	प्रकरण जिनमें प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अधिक सिद्ध हुआ	154
V	अनुदान/विनियोग जिनमें आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है	156
VI	प्रकरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था	158
VII	वे प्रकरण जिनमें व्यय एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक तक कम रहा	159
VIII	वे प्रकरण जिनमें केन्द्रीय योजनाओं के अधीन सम्पूर्ण बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा	162
IX	योजनाओं के अधीन सारभूत आधिक्य वाले प्रकरण	163
X	योजनाओं के अधीन सारभूत बचत वाले प्रकरण	164
XI	अविवेकपूर्ण/अनियमित/दोषपूर्ण-पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण	166
XII	बजट प्रावधान का व्ययगमन	168
XIII	अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण के प्रकरण	169
XIV	अविवेकपूर्ण/अतथ्यपरक अभ्यर्पण के प्रकरण	169
XV	बिना बजट प्रावधान के किया गया व्यय	170
XVI	व्यय के आकड़ों का मिलान न करना	172
XVII	मार्च 2002 के दौरान व्यय की अधिकता	173
XVIII	पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण की दोषपूर्ण संस्वीकृतियां	174
XIX	ठेकेदारों, विभागों, निजी अभिकरणों को भुगतान का विवरण	175
XX	आबंटन/साखपत्र/ प्रतिभूति जमा की वापिसी के आधिक्य को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	176
XXI	स्वीकृत पदों से अधिक नियमित कार्यरत अमले की स्थिति	178
XXII	31 मार्च 2002 को सरकारी कम्पनियों एवं	179

	सांविधिक निगमों को बजट से परे प्राप्त पूंजी, ऋणों/इक्विटी,अन्य ऋणों एवं बकाया ऋणों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	
XXIII	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगम के नवीनतम वर्ष जिसके लेखाओं को अन्तिम रूप दिया गया है, का सारांशीकृत वित्तीय परिणाम	181
XXIV	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान, प्राप्त गारन्टियों, देनदारियों का अधित्याग, ऋण जिन पर ऋण-स्थगन दिया गया एवं इक्विटी में ऋणों का परिवर्तन एवं मार्च 2002 के अन्त में प्राप्य अनुदान एवं लंबित गारन्टियों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक	183
XXV	विभागवार प्रारूप कंडिकाओं/समीक्षाओं का विवरण जिनका उत्तर प्रतीक्षित है।	184